DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

Azadi Ka Amrit Mahotsav

PUBLIC NOTICE

REMOVAL / STOPPING / SEALING OF UNAUTHORIZED DEVELOPMENTS/ CONSTRUCTION IN DEVELOPMENT AREA.

ATTENTION !

As per the Delhi Development Act, 1957, any area declared as Development Area under Section 12(1) and as per the Section 12(3) and 12 (4) of the Delhi Development Act, 1957, no development of land shall be undertaken or carried out in any area by any person or body in development area without the permission obtained in writing from the Authority in accordance with the provision of this Act. Further the Section 12(4) says that after the coming into operation of any of the plans in any area no development shall be undertaken or carried out in that area unless such development is also in accordance with such plans.

Further, as per provisions of Section 30 (order of demolition), 31 (Power to stop Development) and 31(A) (Power to seal unauthorized development) of Delhi Development Act, 1957 the Authority is fully empowered to remove and / or seal any such construction which is in contravention to Master Plan of Delhi and Zonal Development Plan and /or is not being undertaken with the prior approval of the Authority.

Accordingly, General Public/Developers and all concerned are hereby cautioned/INFORMED not to undertake any type of Development and/or Construction in the Development Area in contravention of Master Plan of Delhi and Zonal Development plan. The unauthorized construction/development shall be removed without any further notice and violators shall be prosecuted FOR CIVIL AS WELL AS CRIMINAL ACTION strictly as per the Provisions of Delhi Development Act,1957 AND ANY OTHER LAW TIME BEING INFORCE AT THEIR OWN RISK, COSTS AND CONSEQUENCES.

Follow us on @ddaofficial @official_dda or dial Toll free No. 1800-110332

Size : 8 cm x 12 cm

दिल्ली विकास प्राधिकरण

आज़ादी का अमृत महोत्सव

सार्वजनिक सूचना

विकास क्षेत्र में अनधिकृत विकास/निर्माण को हटाना/रोकना/सील करना

ध्यान दें

दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अनुसार, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 12(1) के तहत और धारा 12(3) एवं 12(4) के अंतर्गत विकास क्षेत्र के रूप में घोषित किसी क्षेत्र में इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण से लिखित अनुमति लिए बिना विकास क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति या निकाय द्वारा किसी भी क्षेत्र में भूमि का कोई भी विकास शुरू नहीं किया जाएगा या कार्यान्वित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, धारा 12(4) में यह कहा गया है कि किसी भी क्षेत्र में किसी भी योजना के चालू हो जाने के बाद उस क्षेत्र में तब तक कोई विकास शुरू नहीं किया जाएगा या कार्यान्वित नही किया जाएगा जब तक कि ऐसा विकास ऐसी योजनाओं के अनुसार न हो।

इसके अलावा, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 30 (विध्वंस का आदेश), 31 (विकास रोकने का अधिकार) और 31(ए) (अनधिकृत विकास को सील करने का अधिकार) के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण को ऐसे किसी भी निर्माण को हटाने और/या सील करने का पूर्ण अधिकार है जो दिल्ली मुख्य योजना और क्षेत्रीय विकास योजना का उल्लंघन करके किया गया है और/या प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से नहीं किया जा रहा है।

तद्नुसार, आम जनता/डेवलपर्स और सभी संबंधितों को एतद्द्वारा सावधान/सूचित किया जाता है कि वे विकास क्षेत्र में ऐसा कोई विकास और/या निर्माण न करें जिससे दिल्ली मुख्य योजना और क्षेत्रीय विकास योजना का उल्लंघन हो। अनधिकृत निर्माण/विकास को बिना कोई पूर्व सूचना दिये हटा दिया जाएगा और उल्लंघन करने वालों पर दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के प्रावधानों तथा तत्समय में लागू किसी अन्य कानून के अनुसार उनके जोखिम, लागत और परिणाम पर सिविल तथा आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा।

@ddaofficial @official_dda पर हमें फॉलों करें अथवा टोल फ्री नं. 1800–110332 डायल करें

Size : 8 cm x 12 cm